दुग्ध परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र

01.	निविदा पत्र बिक्री की तिथि	: 21.02.2020 से 07.03.2020 तक
02.	निविदा प्रपत्र में कुल पृष्ठों की संख्या	: 09 (नौ)
03.	निविदा पत्र जमा की अंतिम तिथि	: .20.03.2020 (5:00 बजे अप0) तक (निबंधित डाक या कुरियर द्वारा)
04.	निविदा खोलने की तिथि	: 23.03.2020 (11:00 बजे पूर्वा0)
05.	निविदा प्रपत्र का कीमत	: 500.00 (पाँच सौ रू0)वापसी योग्य नहीं।
06.	प्रपत्र क्रमांक संख्या (रजिस्टर में प्रविष्टि)	:
07.	मनी रसीद संख्या एवं तिथि	:
08.	आवेदक का नाम एवं पता	: ....
09.	निर्गतकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर	:

निविदा की सामान्य शर्त्ते एवं दिशानिर्देश

दुग्ध संग्रहण एवं परिवहन एक अति आवश्यक एवं नियमित सेवा है। इस कार्य के ठेका हेतु सामान्य शर्त्ते एवं दिशानिर्देश निम्नप्रकार है :–

01. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थल पर पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
02. एक आवेदन प्रपत्र में एक ही पथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पृष्ठों पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
03. एक निविदादाता दो पथों से ज्यादा का निविदा नहीं भर सकते हैं।
04. चयन उपरान्त अग्रधन की राशि जमानत की राशि के रूप में स्वतः परिवर्त्तित हो जाएगा।
05. परिवहनकर्त्ता के रूप में चयन नहीं होने की स्थिति में अग्रधन की राशि रेखाकिंत चेक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
06. चयन उपरान्त कार्यादेश प्राप्त होने के बाद कार्य नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त किया जा सकता है।
07. परिवहन कार्य छोड़ने हेतु संवेदक द्वारा कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
08. निविदा में प्रस्तुत दर स्वीकृत्यादेश की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

09. प्रतिदिन दोनो पाली में निवेदित पथ के लिए डेयरी द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप दुग्ध समितियों में संग्रहित कच्चा दूध को परिवहन कर सुपौल डेयरी/बल्क कुलर तक पहुँचाना होगा।
10. दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप भंडार शाखा से सुधादाना, एसिड,अल्कोहल आदि सामग्री (समितियों में प्रयोग हेतु) प्राप्त कर समितियों को पहुँचाना होगा।
11. निर्धारित समय से विलम्ब से आने पर खट्टा अथवा फटे दूध की कीमत परिवहन संवेदक के परिवहन विपत्र से कटौती करते हुए संबंधित समितियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
12. नियमित परिवहन गाड़ी ब्रेकडाउन होने पर अन्य गाड़ी की व्यवस्था कर परिवहन कार्य करने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। गाड़ी बदलने पर इसकी लिखित सूचना कारण सहित कार्यालय में अविलंब उपलब्ध कराना होगा।
13. दुग्ध पथ का विस्तार, संकुचन अथवा दुग्ध संग्रहण बंद करना (परिस्थिति के अनुसार) कोसी दुग्ध संघ के प्रबंधन की जिम्मेवारी है, जो आपको मान्य होगा।
14. गाड़ी में चालक के अतिरिक्त न्यूनतम एक दक्ष खलासी का रहना अनिवार्य है ताकि केन लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य सुचारू रूप से हो सके।
15. संग्रहण शाखा से वास्तविक परिचालित दूरी के आधार पर विपत्र भुगतान की अनुशांसा की जाती है, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारी के साथ परिचालित दूरी सत्यापित कराना आवश्यक होगा। अतः गाड़ी का किलोमीटर दर्शाने वाला मीटर सही स्थिति में रखना आवश्यक होगा।
16. अन्य शर्त्तों एकरारनामा में निर्धारित शर्त्तो के अनुरूप होगा।
17. ठेका प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा एवं जमानत राशि कार्यालय में जमा करना आवश्यक है, अन्यथा विपत्र भुगतान बाधित हो सकता है। इसकी जबाबदेही संवेदक होगी।
18. संघ को उपलब्ध कराये जा रहे दूध परिवहन गाड़ी के सभी कागजात एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस अद्यतन रखना अनिवार्य होगा।

19. निविदा प्रपत्र दो भाग में है :– (क) टेकनीकल बीड (ख) वित्तीय बीड
    - (क) टेकनीकल बीड में उल्लेखित सभी कागजातों की छायाप्रति तथा अग्रधन का ड्राफ्ट संलग्न कर लिफाफा में बंद कर सील करना होगा तथा लिफाफा पर टेकनीकल बीड एवं अंतिम तिथि 20.03.2020 एवं निवेदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।
    - (ख) वित्तीय बीड में परिवहन दर एवं अग्रधन का व्यौरा भर कर अलग लिफाफा में भर कर सील करना होगा तथा लिफाफा पर वित्तीय बीड एवं निवेदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।
    - (ग) दोनों लिफाफा को अन्य तीसरे मुख्य लिफाफा में डाल कर लिफाफा पर कच्चा दूध संग्रहण परिवहन ठेका एवं अंतिम तिथि 20.03.2020 तथा निवेदित पथ का नाम एवं संख्या तथा निविदादाता का नाम एवं पूरा पता लिखना अनिवार्य है।
    - (घ) सर्वप्रथम टेकनीकल बीड खोला जायगा तथा उसमें सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायगा। वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी।

20. निविदादाता से आवश्यकता समझे जाने पर निगोसियेशन द्वारा दर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा।